__तत्काल__

Subject:- Reg. Celebration of "Constitution Day" on 26th November, 2020.

....

सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय संविधान के **संविधान दिवस की शपथ** (Constitution Day) के रुप में मनाने के लिए दिनांक 26.11.2020 (गुरुवार) को प्रात 11:00 बजे चण्डीगढ़ स्थित दोनों हरियाणा सचिवालय भवनों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर संविधान दिवस की शपथ लेगें (Due to COVID-19) ।

2. अतः मुख्य सचिवालय व नव सचिवालय, सैक्टर–17, चण्डीगढ में कार्यरत सभी अधिकरियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि दिनांक 26.11.2020 (गुरुवार) को प्रात 11:00 बजे अपनी–अपनी सीटों पर खड़े होकर भारतीय संविधान के **संविधान दिवस की शपथ** (Constitution Day) लेगें।

प्रशासकीय अधिकारी,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

1 सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2 सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
3 सभी आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार।
4 हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव जो मुख्य सचिवालय व नये सचिवालय में कार्यरत है।
5 सभी मन्त्रियों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव।
6 सभी शाखाओं के अधीक्षक/उप अधीक्षक व शाखा अधिकारी।
7 कमांडेट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, युनिट पंजाब, हरियाणा सिविल सचिवालय।

अशाः क्रमांक– 15/29/2008–ए0डी0ओ0 (सी0टी) दिनांक, चण्डीगढ, 25.11.2020
यादिः क्रमांक– 15/29/2008–ए0डी0ओ0 (सी0टी) दिनांक, चण्डीगढ, 25.11.2020

एक प्रति निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Sd/-
प्रशासकीय अधिकारी,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

....

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**